राजस्थान सरकार
वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

क्रमांकः– एफ 8(6)/एफडी/एसपीएफसी/परिपत्र/2023 दिनांकः 23/09/2024

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(1)(ख) के तहत निम्न खाद्य एवं पेय पदार्थो की राज्य स्तरीय दरें निर्धारित की जाती हैः–

क्र.स.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	दर (रूपये में)
1.	चाय (100 एमएल)	10 रूपये प्रति कप
2.	कॉफी (100 एमएल)	15 रूपये प्रति कप
3.	छाछ (250 एमएल)	13 रूपये प्रति पेकेट
4.	लस्सी (250 एमएल)	15 रूपये प्रति पेकेट
5.	रोस्टेड चना (100 ग्राम)	18 रूपये प्रति पेकेट
6.	रोस्टेड मूंगफली (100 ग्राम)	29 रूपये प्रति पेकेट
7.	रोस्टेड मखाने (100 ग्राम)	180 रूपये प्रति पेकेट
8.	मल्टीग्रेन डाईजेस्टिव बिस्किट (200 ग्राम)	28 रूपये प्रति पेकेट

अतः समस्त उपापन संस्थाओ को निर्देशित किया जाता हैं कि विभिन्न विभागो में विभागीय बैठक हेतु आपूर्ति किये जाने वाले आवश्यक खाद्य एवं पेय पदार्थो का कार्यालय परिसर में स्थित आपूर्तिकर्ताओ से उपापन संस्था द्वारा निर्धारित दर या उक्त राज्य स्तरीय दर, जो दोनो में से कम हो, पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मासिक सीमा के अध्यधीन उपापन किया जा सकता है।

23/9

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधिनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
11. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. सिस्टम एनालिस्ट, इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (एफआर) विभाग